

तारीख हुकम	
31/7/24	<p>कुलूप उपस्थित/ वरु हेतु एक और अवसर चावगा, जो न्यायदिवस में दिया जाता है/ मिला वरु वरु दिनांक 29/7/24 को पेश हो</p>
29/7/24	<p>कुलूप उपस्थित/ वरु उपपक्ष सुनी गई/ मिला वरु दिनांक 28/7/24 को पेश हो</p>
5/8/24	<p>कुलूप उपस्थित/ राजकार्य में वरु वरु से आप पत्रवली का अवलोकन नहीं किया जा सका/ मिला दिनांक 20/8/24 को पेश हो</p>
20/8/24	<p>कुलूप उपस्थित/ वरु युक्त काफी समय देगा/ मिला वरु दिनांक 02/9/24 को पेश हो</p>
02/9/24	<p>कुलूप उपस्थित/ प्रार्थी तहसीलदार वून्दी की ओर से प्रार्थनापत्र पेश हुआ, जो शामिल पत्रवली रखा गया/ उपपक्ष को सुना गया/ प्रार्थनापत्र प्रार्थी के अवलोकन से प्रकर है कि तहसीलदार वून्दी द्वारा मामान्तकरण संख्या 588 दिनांक 11/5/21 वाकेगाम गुवाड़ी के विरुद्ध पेश किए गये रेफरेंस प्रकर को वापस लेने एवं SDO वून्दी के निर्णय दिनांक 26/04/2021 के</p>

मात्र 29/7/24

की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>विद्द सक्षम न्यायालय में अपील किए जाने की स्वीकृति - याही गड़ी है। विदिक प्रावधानों की रेशनी में न्यायद्वि में प्रथमापत्र प्रार्थी दिनांक 02/09/24 स्वीकार किया जाता है तथा दस्तगत रेफरेंस प्रकरण प्रार्थी द्वारा विद्दा कर लिये जाने से निरस्त किया जाता है। जहां तक SDO बूंदी के निवेदि के विद्द सक्षम न्यायालय में अपील किए जाने की स्वीकृति का प्रश्न है तो इस हेतु प्रथमापत्र की एक प्रति प्रभारी अधिकारी, राजख अनुभाग को नियमानुसार कार्रवाई हेतु भेजी जावे। पत्रवली फैसले में शुमार चेकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर कराई जावे।</p>	